



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2017/फाल्गुन 3, 1938

No. 127]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2017/PHALGUNA 3, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 155(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

1. लघु शीर्ष और आरंभ:- (1) इन नियमों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और उसे पूरा करने से संबंधित भाग VII में नियम 23, उप-नियम (2) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः-

“(ग) सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणाम तैयार करना; और

(घ) परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत् और व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।”

[फा.सं. 16-3/2016-ईई-17/ईई-13/ईई-4]

रीना रे, अपर सचिव

टिप्पणी:- अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301 (ई), दिनांक 8 अप्रैल, 2010 के जरिए भारत के राजपत्र के भाग II, खंड-3, उपखंड (i), दिनांक 9 अप्रैल, 2010 में मूल नियम प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2017.

G.S.R 155(E).—In exercise of the power conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby makes the following amendments in the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010 in Part VII relating to Curriculum and Completion of Elementary Education, in rule 23, in sub-rule (2) for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :-

“(c) prepare class-wise, subject-wise learning outcomes for all elementary classes; and

(d) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation, to achieve the defined learning outcomes.”.

[F.No. 16-3/2016-EE-17/EE-13/EE-4]

RINA RAY, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published vide notification number G.S.R. 301(E), dated the 8th April, 2010 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 9th April, 2010.